जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/36 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 4 अगस्त 2023

विवादों का केंद्र बना JDA के जोन 1 मे स्थित भूखंड संख्या 101मौजी कॉलोनी!

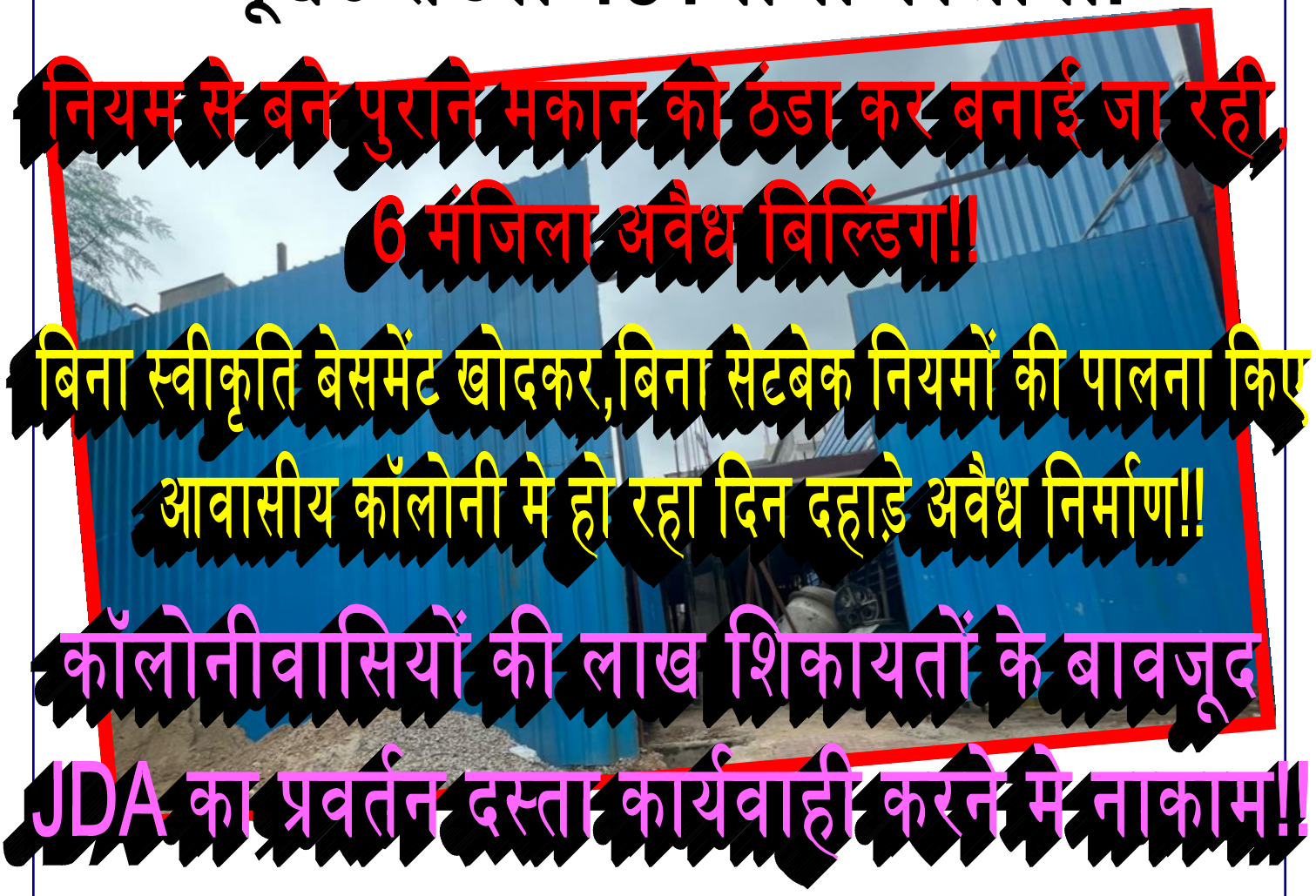

नियम से बने पुराने मकान को ठंडा कर बनाई जा रही 6 मंजिला अवैध बिल्डिंग!!

बिना स्वीकृति बेसमेंट खोदकर,बिना सेटबेक नियमों की पालना किए आवासीय कॉलोनी मे हो रहा दिन दहाड़े अवैध निर्माण!!

कॉलोनीवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद JDA का प्रवर्तन दस्ता कार्यवाही करने मे नाकाम!!

राज्य मे "राइट टू कंस्ट्रक्शन" लागू है या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी "भवन विनियम"?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

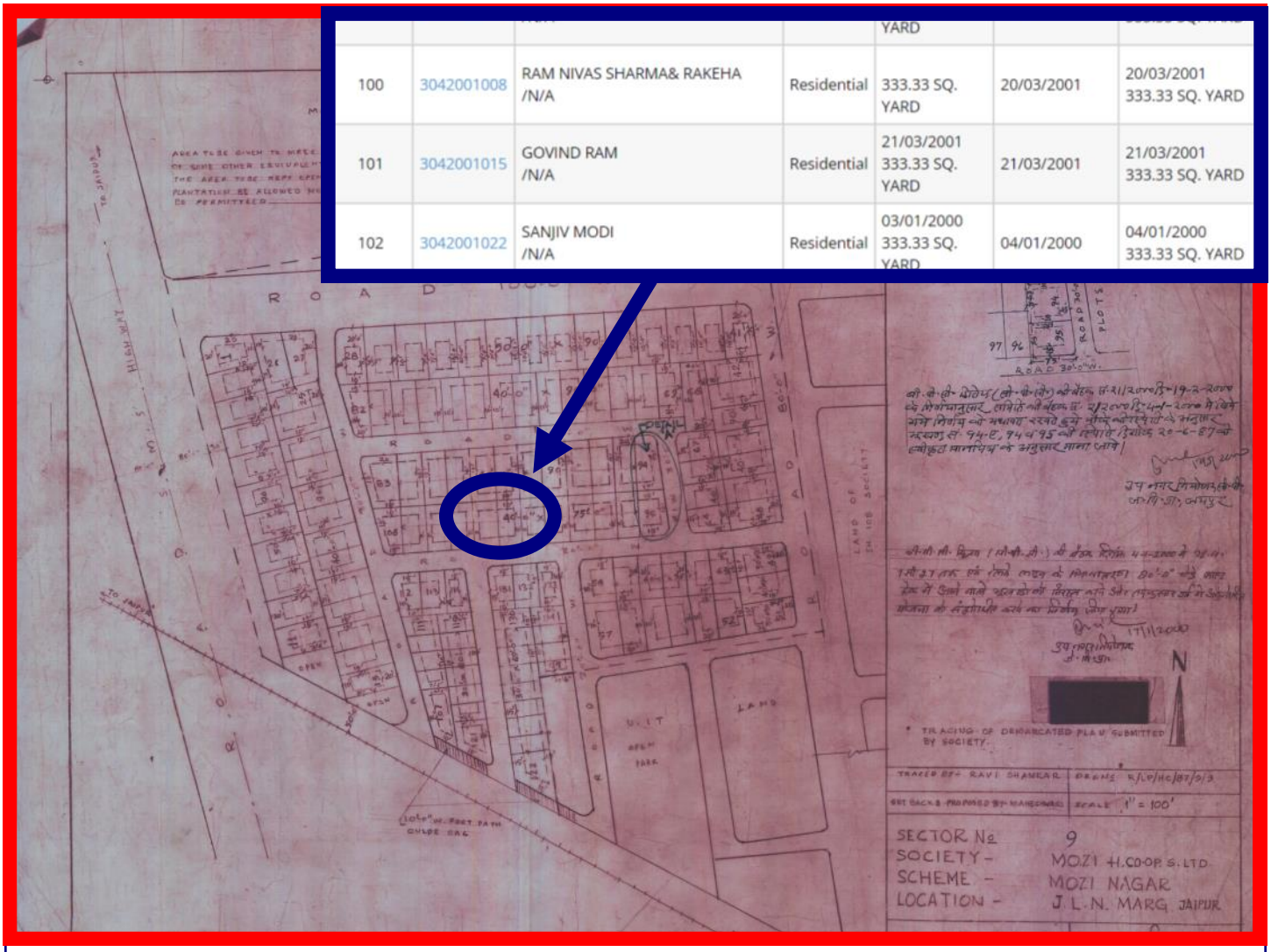

क्या है भूखंड संख्या 101,मौजी कॉलोनी,पर चल रहे अवैध निर्माण का मामला?

आपको बता दें कि jda की अधिकृत वेबसाईट के अनुसार jda के जोन 1 मे स्थित 40*75 साईज का कुल 333.33 वर्ग गज का आवासीय भूखंड संख्या गोविंद राम के नाम दर्ज है,वर्तमान मे इस भूखंड पर बिना सक्षम स्वीकृति के नियमों से बने पुराने मकान को ध्वस्त कर,उसकी जगह अवैध बेसमेंट खोदकर,बिना सेटबेक नियमों की पालन किए बेसमेंट+ग्राउन्ड+4 मंजिल अवैध बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है|मौके पर बेसमेंट और ग्राउन्ड फ्लोर की छत डाल दी गई है और अग्रीम निर्माण द्रुत गति से चालू है|आपको बता दें कि यह भूखंड मालवीय नगर की आपाधापी से अलग,शांतिपूर्ण इलाके मे स्थित है और इस भूखंड के आस-पास अन्य भूखंड धारियों द्वारा भी JDA विनियमों का पालन करते हुए,अपने-अपने आवासों का निर्माण करवाया गया है,लेकिन शहर के एक नामी टेक्सटाईल व्यवसायी द्वारा करवाए जा रहे इस अवैध निर्माण से मानो उनका अमन चैन दांव पर लगा हुआ है|स्थानीय निवासियों के अनुसार पहले भी इस भूखंड पर नियमों के अनुसार भव्य कोठी बनी हुई थी,लेकिन भूखंड मालिक की मृत्यु के बाद उनके वारिसों द्वारा नियम कायदों को ताक मे रखकर,दिनदहाड़े पुराने मकान को ध्वस्त कर,नियमों से परे जाकर,यह अवैध निर्माण करवाया जा रहा है|

ऊपर बताया गया पुराना निर्माण,जिसे ध्वस्त कर नीचे बताई गई फोटो के अनुसार नया निर्माण करवाया जा रहा है|

कॉलोनीवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद JDA का प्रवर्तन दस्ता कार्यवाही करने मे नाकाम!!

स्थानीय निवासियों द्वारा लाख समझाने के बावजूद ना तो भूखंड के वर्तमान वारिसान समझने को राजी है और ना ही इस मामले मे शिकायत होने पर jda का प्रवर्तन दस्ता किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने को तैयार हो रहा है|इस मामले मे लाख शिकायते करने के बावजूद प्रवर्तन विभाग के इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी तक मौका मुआयना कर चुके है लेकिन कार्यवाही के नाम पर अभी भी शून्य है|लगता है शहर के नामी टेक्सटाईल व्यवसायी के रसुखातों के चलते अब प्रवर्तन दस्ते ने इस गली मे आना भी छोड़ दिया है|

राज्य मे "राइट टू कंस्ट्रक्शन" लागू है या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी "भवन विनियम"? बिल्डर की मनमानी बड़ी या फिर देश का संविधान और देश का कानून?

इस मामले मे हो रही बिल्डर की मनमानी से तो यही लग रहा है कि मानो राज्य मे भवन विनियम जैसी कोई चीज है ही नहीं और राज्य मे " राइट टू कंस्ट्रक्शन" लागू है यानि की कोई भी अपने प्लॉट पर मनमर्जी का निर्माण करे,आपको कोई नहीं रोकेगा|स्थानीय निकायों मे आ रही अवैध निर्माणों की बाढ़ से तो शायद यही लगता है|यदि जिम्मेदार अधिकारी किसी अवैध निर्माण/अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं करना चाहते या फिर अपनी कर्तव्यों के निर्वहन मे सक्षम नहीं है तो क्यूँ नहीं सरकार को लिख कर दे देते कि राज्य मे " राइट टू कंस्ट्रक्शन" लागू किया जाए ताकि सरकार महज अवैध निर्माण की स्थिति मे जुर्माना कर और उसे वसूल कर निर्माण को वेध करार दे देवे,जिससे एक तरफ तो राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो और दूसरी तरफ अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को हटाने मे लगने वाले सरकारी मशीनरी और तामझाम पर होने वाले करोड़ों रुपयों को भी बचाया जा सके|